

# राज्य विधिज्ञ परिषद् उत्तर प्रदेश

19, महर्षि दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद, फोन 0532.3263501, फैक्स 2420068  
Website:- [www.upbarcouncil.com](http://www.upbarcouncil.com), email: [uttarpradeshbarcouncil@gmail.com](mailto:uttarpradeshbarcouncil@gmail.com)

सेवा में सचिव महोदय,

में श्री / श्रीमती / कृमारी.....पंजीकरण संख्या.....घोषणा करता/करती हूँ कि निम्न  
विवरण मेरे द्वारा भरा गया है एवं सत्य है, कृपया निम्न विवरण के अनुसार परिचय पत्र की द्वितीय प्रति निर्गत करने की कृपा करें।

## आवेदक द्वारा स्पष्ट अक्षरों में हिन्दी में भरा जाये

- नाम.....
- पिता / पति का नाम श्री.....
- माता का नाम.....
- जन्म तिथि.....
- पूरा पता.....
- जनपद.....पिन.....
- आवेदन के साथ संलग्न पहचान एवं पते के प्रमाण का विवरण.....
- मोबाइल नम्बर/टेलीफोन नम्बर.....

बार कौंसिल  
सदस्य/प्रथम श्रेणी  
मजिस्ट्रेट से  
प्रमाणित की गयी  
पासपोर्ट साइज  
फोटो कोट टाई में

## TO BE FILLED IN ENGLISH BY THE CANDIDATE (IN BLOCK LETTERS)

- NAME.....
- FATHER / HUSBAND NAME SHRI.....
- MOTHER'S NAME.....
- DATE OF BIRTH.....
- COMPLETE ADDRESS.....
- DISTRICT.....PIN CODE.....
- DETAIL OF ATTACHED ID/RESIDENCE PROOF.....
- MOBILE / LANDLINE.....

Passport  
size  
photograph  
in coat tie

आवेदक का हस्ताक्षर

## FOR OFFICE USE ONLY

Enrollment No.....Date of Enrollment.....Sing of Clerk.....

## आवश्यक निर्देश

- वर्ष १९९३ एवं उससे पूर्व के आवेदक कृपया यह सुनिश्चित करें कि उनकी नियम ४० की धनराशि कार्यालय में जमा है। उक्त राशि न जमा होने पर परिचय पत्र बनना सम्भव नहीं है।
- प्रार्थना पत्र पर रंगीन फोटो, कोट टाई में (बैण्ड में नहीं) लगायें जिसमें से एक फोटो बार कौंसिल के निर्वाचित सदस्य / प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है।
- परिचय पत्र हेतु निर्धारित शुल्क रुपये ५०/- मात्र है एवं डाक खर्च के साथ रुपये १००/- मात्र है जो कि नगद या बैंक की डी० डी० (बार कौंसिल उत्तर प्रदेश इलाहाबाद) के नाम से स्वीकार्य है।
- कृपया अपने पंजीकरण के समय का पता ही भरें। पते के परिवर्तित होने की दशा में पता परिवर्तन हेतु एक नोटरी शपथ पत्र अवश्य प्रस्तुत करें।
- आवेदन पत्र के साथ आवेदक के वोटरकार्ड/आधार कार्ड/ फोटोयुक्त निवास प्रमाण पत्र/बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं बार कौंसिल के पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति अवश्य संलग्न करें।